

कार्यालय नगर पालिक निगम, बिलासपुर (छ.ग.)

विज्ञापन होर्डिंग लगाने वाले आवेदन पत्र एवं शर्तें

प्रति,

आयुक्त,

नगर पालिक निगम,

बिलासपुर (छ.ग.)

मैं एतद् द्वारा विज्ञापन के प्रदर्शन के लिये अनुज्ञा हेतु इसमें नीचे दी गई विशिष्टियों के अनुसार आवेदन करता हूँ :-

1. कार्य का नाम -----
2. आवेदनकर्ता विज्ञापन एजेंसी का नाम -----
3. पैन नम्बर, सेल टेक्स नम्बर -----
4. विज्ञापन एजेंसी की ओर से अधिकृत
(टेकेदार नहीं) होकर कार्य करने वाले
व्यक्ति का नाम/पता एवं दूरभाष क्रमांक
नाम -----
पता -----
दूरभाष क्रमांक -----
5. क्या उपरोक्त कार्य हेतु विज्ञापन एजेंसी
के पास उपर्युक्त टेक्नालॉजी है या नहीं -----
6. स्थल का मानचित्र संलग्न है या नहीं -----
7. विवरण
(अ) -----
(ब) -----
8. विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम
बिलासपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। -----
9. इकरारनामा की प्रति एवं संपत्तिकर रसीद
संलग्न है (निजी भवन होने पर) -----
10. नगर निगम द्वारा विधिवत् अनुमति होने
पश्चात् मेरे द्वारा नगर निगम के समस्त
शर्तों का पालन किया जावेगा। -----
11. विज्ञापन होर्डिंग का फाउंडेशन, डिजाइन
एवं स्टेबिलिटी की जवाबदारी भी आवेदक
विज्ञापन एजेंसी संस्था व उनके इंजीनियर
की होगी। -----

12. विज्ञापन हाउडिंग के स्ट्रक्चर स्थापना पश्चात स्टेबलिटी हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।
13. विज्ञापन होर्डिंग की ऊपरी हिस्से में लाल बत्ती की व्यवस्था विज्ञापन एजेंसी द्वारा की जावेगी।
14. स्वीकृति के विपरीत निर्माण को नगर निगम बिलासपुर द्वारा कभी भी हटाया जायेगा जिसमें विज्ञापन एजेंसी को दी गई अनुमति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।
15. विज्ञापन होर्डिंग का निर्धारित शुल्क अथवा समय-समय अनुसार परिवर्तन शुल्क निगम कोष में आवेदक द्वारा जमा कराया जावेगा
16. जिला प्रशासन-पुलिस विभाग व अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा ली गई आपत्ति पर आवेदक विज्ञापन एजेंसी को जारी की गई अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी तथा आवेदक संस्था द्वारा लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन होर्डिंग हटाया जाना बाध्यकारी होगा।
17. आकस्मिक/प्राकृतिक दुर्घटना के कारण यदि लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन होर्डिंग गिरती है एवं इससे यदि जनहानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति आवेदक, विज्ञापन एजेंसी द्वारा किया जावेगा तथा इससे संबंधित कोई भी दावा आपत्ति क्षतिपूर्ति/घटना-दुर्घटना इत्यादि के लिये संपूर्ण जवाबदेही/जिम्मेदारी आवेदक विज्ञापन एजेंसी की होगी।
18. जनहित व सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होने पर आवेदक संस्था को जारी अनापत्ति निरस्त की जा सकेगी जो कि आवेदक विज्ञापन एजेंसी को स्वीकार है।
19. विज्ञापन होर्डिंग के ऊपर दाहनी ओर विज्ञापन एजेंसी का नाम होर्डिंग क्रमांक, स्वीकृत वित्तीय वर्ष एवं जारी रसीद क्रमांक लिखना आवेदक विज्ञापन एजेंसी को स्वीकार है।

आवेदक का नाम

हस्ताक्षर :-

दूरभाष नंबर :-

मोबाईल नम्बर :-

12. विज्ञापन होर्डिंग के स्ट्रक्चर स्थापना पश्चात स्टेबिलिटी हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।
13. विज्ञापन होर्डिंग की ऊपरी हिस्से में लाल बत्ती की व्यवस्था विज्ञापन एजेंसी द्वारा की जावेगी।
14. स्वीकृति के विपरीत निर्माण को नगर निगम बिलासपुर द्वारा कभी भी हटाया जायेगा जिसमें विज्ञापन एजेंसी को दी गई अनुमति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।
15. विज्ञापन होर्डिंग का निर्धारित शुल्क अथवा समय-समय अनुसार परिवर्तन शुल्क निगम कोष में आवेदक द्वारा जमा कराया जावेगा
16. जिला प्रशासन-पुलिस विभाग व अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा ली गई आपत्ति पर आवेदक विज्ञापन एजेंसी को जारी की गई अनापत्ति निरस्त मानी जावेगी तथा आवेदक संस्था द्वारा लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन होर्डिंग हटाया जाना बाध्यकारी होगा।
17. आकस्मिक/प्राकृतिक दुर्घटना के कारण यदि लगाया गया स्ट्रक्चर एवं विज्ञापन होर्डिंग गिरती है एवं इससे यदि जनहानि होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति आवेदक, विज्ञापन एजेंसी द्वारा किया जावेगा तथा इससे संबंधित कोई भी दावा आपत्ति क्षतिपूर्ति/घटना-दुर्घटना इत्यादि के लिये संपूर्ण जवाबदेही/जिम्मेदारी आवेदक विज्ञापन एजेंसी की होगी।
18. जनहित व सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होने पर आवेदक संस्था को जारी अनापत्ति निरस्त की जा सकेगी जो कि आवेदक विज्ञापन एजेंसी को स्वीकार है।
19. विज्ञापन होर्डिंग के ऊपर दाहनी ओर विज्ञापन एजेंसी का नाम होर्डिंग क्रमांक, स्वीकृत वित्तीय वर्ष एवं जारी रसीद क्रमांक लिखना आवेदक विज्ञापन एजेंसी को स्वीकार है।

आवेदक का नाम

हस्ताक्षर :-

दूरभाष नंबर :-

मोबाईल नम्बर :-